जे.एम.डी. एलॉयस लिमिटेड।

विरुद्ध

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

मार्च 06, 2023

(एस. राजेंन्द्र बाबू. डी. एम. धर्माधिकारी और जी. पी. माथुर, जे.जे.)

विद्युत कानूनः

विद्युत अधिनियम, 1910:

धारा 26 (6)-सी.टी./पी.टी. इकाई की सील में छेड़छाड़ के सम्बंध में विवाद-क्षेत्र एवं परिधि-निर्धारित इस प्रकृति का विवाद धारा 26 (6) के दायरे से बाहर है और विद्युत निरीक्षक के पास ऐसे मामलों में सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है- निरीक्षक केवल यह तय कर सकता है कि मीटर सही हैं या नहीं और रीडिंग को सटीक रूप से रिकॉर्ड कर रहा है।

धारा 39 व 44- बिजली की चोरी का मामला-विचारण- उद्देश्य और उद्देश्य निर्धारित कियाः जिस व्यक्ति पर इस प्रकार अपराध कारित करने का आरोप है, उसे दंडित करना और सजा देना है- अभियुक्त का विचारण आपराधिक मामलें में आरोपी के मुकदमें का बेईमानी से उपयोग किये या निकासी किये गए बिजली के मूल्य के टैरिफ के अनुसार किए गए मूल्यांकन का कोई असर नहीं पड़ता है।

बिहार राज्य बिजली शुल्कः

खंड 16.9- अनाधिकृत भार का ज्ञात करना- निरंतर बिजली को बेईमानीपूर्वक निकासी के मामलों में गणना जब इसके लिए कोई सबूत नहीं है तो इसे 180 दिन लिया जा सकता है।

खंड 16.9 और 16.10.3- बेईमानीपूर्वक निकासी-ईंधन शुल्क का आंकलन प्रति युनिट पर तिगुणा कर किया जायेगा- खंड 16.10.3 एक पृथक खंड है जो ईंधन अधिभार से सम्बंधित है और यह कहीं भी निर्धारित नहीं करता कि यह अतिरिक्त अधिभार शुल्क को तिगुणा प्रति युनिट की दर से लगाया जायेगा। इस प्रकार से प्रति युनिट तिगुणा सरचार्ज लगाया जाना उचित नहीं है।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226- क्षेत्र मुख्य अभियंता का आदेश क्षेत्र- आदेश के विरुद्ध रिट याचिका पर निर्धारित किया - उच्च न्यायालय मुख्य अभियंता के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई नहीं कर सकता- इसकी जांच का क्षेत्र सीमित है- न्यायिक पुनर्विलोकन

याचिकाकर्ता- कारखानें में इन्डेक्शन भट्टियों को चलाने के लिए बिजली का एक उच्च तनाव का औद्योगिक कनेक्शन लिया था। विद्युत बोर्ड ने याचिकाकर्ता के कारखाना परिसर पर निरीक्षण किया और पाया कि सीटी/पीटी बॉक्स पर लगी मुहर से छेड़छाड़ की गई है। एफ.आई.आर. दर्ज की गई। इसके बाद बिजली बोर्ड ने एक बिल जारी किया। याचिकाकर्ता ने

इस बिल को चुनौती दी। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विद्युत बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं को अवसर देने के बाद, मुख्य अभियंता ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि टेरिफ का खंड 16.9 (बी) और (सी) भी लागू होंगे और याचिकाकर्ता शुल्क (टैरिफ) के संदर्भ में क्षतिपूरक बिल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और एक नया बिल जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने इस बिल को चुनौती दी। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने एक लेटर पेटेंट अपील दायर की। जिसे खंड पीठ ने आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता खंड 16.9 के अनुसार बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, ईंधन अधिभार के सम्बंध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह टैरिफ खंड 16.9 के अनुसार तीन गुना दर पर नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई।

याचिकाकर्ता-कारखाने ने तर्क दिया कि उन्होंने सी.टी./पी.टी. की सील के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। निरीक्षण के समय कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी; यह दिखाने के लिए कोई सामग्री या सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता ने मीटर में हस्तक्षेप किया था जिसके प्रभाव से बिजली का उपभोग कम दिखाने का या ऐसे कृत्रिम साधनों की उपस्थिति जिससे विद्युत अवशोषण कम दर्शित होना संभव हो सकता हो। इस प्रकार टैरिफ के खंड 16.9 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था और

याचिकाकर्ता को जारी किया गया बिजली बिल गलत था। मीटर की दोषपूर्ण रिकॉर्डिंग को बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 26 (6) के आधार पर आंका जाना चाहिए और मामले को विद्युत निरीक्षक को भेजा जाना चाहिए था। यह कि आपराधिक प्रकरण पंजीकरण के बाद मामलें का अनुसंधान किया और एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को बिजली की चोरी के आरोप से उन्मोचित कर दिया गया। ऐसे में 180 दिनों (छह महीनें) ऊर्जा के बेईमानीपूर्वक निकासी की अवधि के आधार पर गणना करने का मुख्य अभियंता का निष्कर्ष पूर्ण तरीके से गलत हैं क्योंकि उन्होंने स्टील के वास्तविक उत्पादन पर अपने आदेश को आधारित करने के बजाय, भट्टियों की क्षमता को आधार बनाया।

प्रत्यर्थी- विद्युत बोर्ड ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 26 (6) उन मामलों में प्रयोज्य नहीं है जहां सी.टी./पी.टी. की टर्मिनल बॉक्स पर लगाई गई सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मीटर द्वारा विद्युत उपभोग की गणना को कृत्रिम साधनों का सहारा लेकर प्रभावित किया गया हो; अधिभार विद्युत बिल का एक भाग है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि अधिभार प्रति इकाई के आधार पर प्रभार्य था और इसके मूल्य से तीन गुणा के आधार पर शुल्क नहीं लागू होगा और टैरिफ खंड 16.9 को ध्यान में रखते हुए, ईंधन अधिभार के शुल्क का यूनिट के तीन गुना पर आंकलन किया जाना

चाहिए; और यह कि मुख्य अभियंता ने सभी प्रासंगिक सामग्री और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि सी.टी/पी.टी. टर्मिनल बॉक्स की मुहर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और याचिकाकर्ता ने अनुबंधित भार से बहुत अधिक विस्तृत बेईमानीपूर्वक विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही कर चुनौती नहीं दी जा सकती।

1.1 कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निर्धारित किया इस मामलें में, यह पाया गया है कि सी.टी/पी.टी. टर्मिनल बॉक्स की ऊपर की सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मीटर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली बाहरी उपकरणों का सहारा लिये जाने से प्रभावित हुई। इस प्रकृति का विवाद एक विद्युत निरीक्षक को नहीं भेजा जा सकता है। यद्यपि यह निवेदन किया गया कि सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बॉक्स की सील के साथ छेड़छाड़ सम्बंधी विवाद को विद्युत निरीक्षक को भेजा जाना चाहिए था, जो खारिज किया जाता है।

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड और अन्य, वी. बंसंतीबाई, (1988) 1 एससी 23 को संदर्भित किया।

1.2 मजिस्ट्रेट द्वारा केवल अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना आपराधिक न्यायालय का यह निष्कर्ष नहीं हो जाता कि बिजली की चोरी कारित नहीं की गई थी। ऐसी दशा में जहां अभियुक्त को समनित नहीं किया गया, कोई आरोप विरचित नहीं किया गया और न ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध की गई तो यह नहीं माना जा सकता है कि आपराधिक न्यायालय

ने यह निष्कर्ष दिया हो कि याचिकाकर्ता ने कोई बिजली की चोरी नहीं की है। इसके अलावा, बिजली अधिनियम की धारा 39/44 के तहत मुकदमें का विचारण पूर्णतः अलग है और इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को दंडित कर सजा देना है जिस पर ऐसा अपराध करने का आरोप है। आपराधिक विचारण में अभियुक्त के मुकदमें पर बेईमानी पूर्वक विद्युत निकासी (दोहन) या उपभोग के बिजली मूल्य पर टैरिफ (शुल्क) के अनुसार किए गए मूल्यांकन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए, आपराधिक मामलों में अंतिम रिपोर्ट तथाकथित स्वीकार होने के आधार पर उठाए गए तर्क को खारिज किया जाता है।

1.3 बिजली चोरी या बेईमानी पूर्वक बिजली की निकासी के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए मूल्यांकन एक सूत्र के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें 'डी' का अर्थ उन दिनों की संख्या है जिन दिनों चोरी हुई थी और जहां उक्त अवधि को स्थापित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो इसे 180 दिनों के बराबर माना जा सकता है। इसी तरह, जहां मामला स्वीकृत भार से अधिक भार से जुड़ा हुआ है वहां मूल्यांकन शुल्क सूत्र के आधार पर किया जाना चाहिए। जहां 'सी छह महीने के लिए या कनेक्शन स्थापना की तारीख से गत महीनों या उनके हिस्से की संख्या, जो भी कम हो। इसलिए, दोनों ही मामलों में टैरिफ के तहत अवधि को 180 दिन या छह महीने के रूप में लिया जा सकता है। इसी फार्मुला के आधार पर युनिट की उपभोग का आंकलन 180 दिनों के लिए किया गया है। यह

अभिनिर्धारित किया गया है कि बोर्ड द्वारा विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्तों के तहत अधिसूचित उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत तथा बिजली की आपूर्ति का लाभ उठाने वाले सभी उपभोक्ताओं पर प्रभावी होगी जो बोर्ड की शक्ति वैधानिक प्रकृति की है। इस प्रकार, विद्युत बोर्ड द्वारा शुल्क के खंड 16.9 को लागू किया जाना और किए गए निर्धारण और उसके अनुसरण में तैयार बिल में कोई कमी नहीं होने से सही है।

हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड विरुद्ध ए.पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, (1998) 4 एस.सी.सी. 470, संदर्भित किया।

1.4 ईंधन अधिभार को आंकलित करने का सूत्र (फार्मुला) लम्बा और जटिल है।

यह जो टैरिफ खंड 16.10.3 में दिया गया है जो कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और वे कई परिर्वतनशील कारणा पर निर्भर करते हैं। खंड 16.9 व 16.10.3 विभिन्न और विशिष्ट खंड है। खंड 16.9 किसी उपभोक्ता द्वारा अनुबंधित भार से अधिक करके या मीटर के चलने में बाधा पैदा करके अवशोषित या उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा के मूल्य की गणना करने के लिए सूत्र निर्धारित करता है जो टैरिफ की प्रति इकाई की दर से तीन गुना अधिक है। मीटर द्वारा दर्ज उपभोग को छोड़कर उपभोक्ता और बाद वाले से उचित शुल्क दरों पर शुल्क लिया जाएगा। खंड 16.10.3 एक पृथक खंड है जो ईंधन अधिभार से सम्बंधित है और यह कही नहीं कहता

है कि अतिरिक्त अधिभार शुल्क प्रति युनिट तीन गुना दर पर लगाया जाएगा। खंड 16.9 व 16.10.3 को अलग-अलग पढ़ना चाहिए और ईंधन अधिभार प्रति युनिट तीन गुना दर के आंकलन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे में यह मान लेना सम्भव नहीं है कि प्रति युनिट पर तीन गुना दर पर ईंधन अधिभार ऐसे मामलों में लिया जाना चाहिए।

1.5 याचिकाकर्ता द्वारा अनुच्छेद 226 संविधान के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य अभियंता के आदेश की वे दशाएं जिन पर बिल तैयार किया गया था को रिट याचिका में दाखिल कर चुनौती दी। उच्च न्यायालय मुख्य अभियंता के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं सुन रहा था। ऐसे मामलों में जांच का दायरा सीमित होता है। यह निर्विवाद है कि मुख्य अभियन्ता ने याचिकाकर्ता को सभी सुसंगत तथ्य जिनका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया था का उल्लेख करते हुए नोटिस जारी किया था तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी दिया और जो एक अधिवक्ता के माध्यम से पेश हुआ, जिसने लिखित अभिवचन दिये। उसके बाद मुख्य अभियंता ने आदेश पारित किया। मुख्य अभियंता ने सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा उन पर स्पष्ट निष्कर्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता था कि उसके द्वारा पारित आदेश किसी भी तरीके से अतर्कसंगत या विकृत था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण सही रखा कि मुख्य अभियंता ने आदेश पारित किया कि क्षतिपूर्ति बिल को टैरिफ खंड 16.9 के अनुसार तैयार किया जाए,

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

यू.पी. और अन्य राज्य, वी. महाराजा धर्मंदर प्रसाद सिंह, ए.आई.आर. 1 (1989) एससी 997 और अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल विरुद्ध ए.के. चोपड़ा, जे.टी. (1999) 1 एस.सी. 61, संदर्भित किया।

सिविल अपीलीय न्यायानिर्णयः सिविल अपील संख्या 8394/2002

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.04.2000 एल.पी.ए. संख्या 1665/1999

समेकित

सी.ए. संख्या 8395/2002

गोपाल सुब्रमण्यम, वी.आर. रेड्डी, संतोष कुमार, चंद्रकांत, अविनाश कुमार, राकेश के. शर्मा, मिहिर के. झा और नवीन प्रकाश उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय जी.पी.माथुर, जे. द्वारा दिया गया।

यह अपील और पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के आदेश दिनांकित 18.04.2000, जिसके द्वारा मैसर्स जे.एम.डी. ऐलाय लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को निर्देशित किया कि वह आदेश के अनुसार एक नया बिल जारी करें

और उक्त बिल के भुगतान के दो दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन पुनः बहाल करें।

मैसर्स जे.एम.डी. एलॉयज लिमिटेड (इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) ने इस्पात सिल्लियों के निर्माण के लिए इन्डेक्शन भट्टियों को चलाने के लिए बिजली का एक हाई वोलटेज का औद्योगिक कनेक्शन लिया गया था।

बोर्ड (इसके बाद "बिजली बोर्ड" के रूप में संदर्भित) के अधिकारियों द्वारा दिनांक 26 व 27 अगस्त, 1999 को याचिकाकर्ता के कारखाना परिसर का निरक्षण किया और पाया कि सी.टी./पी.टी. डिब्बे पर लगी सील से छेड़छाड़ की गई थी। दिनांक 27.08.1999 को सम्बंधित पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने 06 लाख 96 हजार युनिट की चोरी की है और जिससे विद्युत बोर्ड को 2.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद बिजली बोर्ड ने दिनांक 31.08.1999 को एक बिल 8,85,77,131/- रुपये का जारी किया। इस बिल को याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सी.डब्ल्यू. जे.सी. संख्या 8939/1999 दायर करके चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश, द्वारा अपने निर्णय/आदेश दिनांक 27.09.1999 के माध्यम से रिट याचिका की सुनवाई कर निर्देश दिया कि निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर कारण बताए नोटिस दिया जाए और याचिकाकर्ता के लिए अवसर होगा कि वह विद्युत ऊर्जा की चोरी

करने और/या अपनी अनुबंधित विद्युत से अधिक लोड पर विद्युत ऊर्जा खींचने के आरोप के खिलाफ अपने सभी बचाव को उठाएगा। यह भी निर्देश दिया गया कि महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, मध्य बिहार क्षेत्र, विद्युत बोर्ड,पटना या बिजली बोर्ड के समान या उच्चतर रैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा और वह याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद अंतिम आदेश पारित करेगा। मुख्य अभियंता द्वारा पारित अंतिम आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता के दायित्व का नये सिरे से निर्धारण किया जाना था।

मुख्य अभियंता (पारेषण) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दिनांक 13.10.1999 को एक नोटिस जारी किया गया जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 20.10.1999 पर जवाब दिया गया था। इसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद और जवाब पर विचार करते हुए मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 27.10.1999 को एक आदेश पारित किया गया कि मामले में शुल्क (टैरिफ) खंड 16.9 (बी) और (सी) लागू होते है और उपभोक्ता मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज लिमिटेड क्षतिपूरक बिल का भुगतान करने के लिए टैरिफ खंडो के अनुसार उत्तरदायी है।

मुख्य अभियंता के निर्णय के अनुसरण में 7,85,77,131/- रुपये का एक नया बिल दिनांकित 29.10.1999 जारी किया गया। इस बिल को याचिकाकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर करके फिर से चुनौती दी गई थी। जिसे दिनांक 13.12.1999 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर

दिया गया। उक्त निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने एक लेटर्स पेटेंट अपील प्रस्तुत की जो आंशिक रूप से विद्वान खंड पीठ द्वारा दिनांक 18.04.2000 को आलोच्य आदेश द्वारा अनुमति दी गई। खंड पीठ ने निर्धारित किया कि शुल्क के खंड 16.9 के अनुसार बिजली शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि ईंधन सरचार्ज के सम्बंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसे शुल्क के खंड 16.9 के अनुसार तीन गुना दर पर नहीं लगाया जा सकता है, जो खंड प्रति युनिट तीन गुना दर पर बिजली की खपत का आंकलन करने की अनुमति देता है। उपरोक्त निर्णय से व्यथित महसुस करते हुए, मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज लिमिटेड ने 2002 की सिविल अपील को प्राथमिकता दी है और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने सिविल अपील 8394/2002 प्रस्तुत की तथा विद्युत बोर्ड द्वारा सिविल अपील संख्या 8395/2002 प्रस्तुत की।

जैसा कि पहले कहा गया है, मुख्य अभियंता (पारेषण), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नोटिस दिनांक 13.10.1999 इस आधार पर जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता के व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण 14.15 घंटे से 20.30 घंटे तक दिनांक 26.08.1999 को किया गया था और उसके बाद दिनांक 14.05.1999 की सी.टी./पी.टी. युनिट तथा इसके टर्मिनल बॉक्स का परीक्षण किया गया तो सी.टी./पी.टी. टर्मिनल बॉक्स की सील संख्या 045660 च् के साथ छेड़छाड़ होना पाया और उस पर प्राधिकृत के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए थे; जिस पर उस दिन छेड़छाड़ की गई मुहर का

एक जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था; टर्मिनल बॉक्स पर लगी मोहर को हटा दिया गया था, इस कारण उपभोक्ता के लिए यह आसानी से सुलभ हो गया था कि टर्मिनलों के साथ खिलवाड़ करके, अर्थात् तारों को हटाकर या उच्च प्रतिरोध वाले तार लगाकर, विधुत के प्रवाह की मीटरिंग युनिट में हेरफर किया गया था, ताकि के.वी.ए. और युनिट उपभोग दोनों की बहुत कम रिकॉर्डिंग दिखाई जा सके। चालू इंडक्शन भट्टियों की कुल क्षमता 12 मेट्रिक टन थी, जिसके लिए 7200 के.वी.ए. ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने 4850 के.वी.ए. मांग का अनुबंध किया और इसलिए, उपभोक्ता बिजली की चोरी में लगा हुआ था और वह अनुबंधित मांग से अधिक ऊर्जा का उपभोग कर रहा था।

याचिकाकर्ता को भट्टियों का आपूर्तिकर्ता, अर्थात् मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड ने पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पानी की आपूर्ति, शीतलन प्रणाली, क्रेन आदि जैसे सहायक भार के अलावा भट्टियों को चलाने के लिए लगभग 3000 के.वी.ए. के बराबर खपत की सूचना दी थी। याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत बोर्ड को दी गई संभाव्य विद्युत उपयोग रिपोर्ट के अनुसार उसे प्रत्येक एम.टी. भट्टी के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा 500 के.वी.ए. थी, इसके अलावा सहायक भार के लिए 100 के.वी.ए. और इस प्रत्येक एम.टी. भट्टी के लिए 600 के.वी.ए. की आवश्यकता थी। इलेक्ट्रॉनिक मीटर से पता चलता है कि कारखाने द्वारा बिजली की खपत औसतन 21.25 घंटे प्रति दिन के

आधार पर की गई थी, जो प्रत्येक पाली में 40 श्रमिकों के साथ 12 घंटे की दो पालियों में चलती है और दो भट्टियों के भार और क्षमता से पता चलता है कि हर महीने 3000 एम.टी. सिल्लियों का उत्पादन होता है और इसलिए, बिजली की न्यूनतम खपत प्रति माह 16.20 लाख युनिट थी, जबकि विद्युत बिलों में बिजली की खपत औसतन प्रति माह 09.24 लाख युनिट होती थी। यह 33/11 के.वी. वायु सेना उपस्टेशन बिहटा में जे.डी. फीडर के मीटर रीडिंग से ओर बिजली चोरी की पुष्टि होती है। याचिकाकर्ता सीटी/पीटी टर्मिनल कवर की मुहर के साथ छेड़छाड़ करके बड़े पैमान पर बिजली की चोरी कर रहा था। याचिकाकर्ता को कारण बताओं का नोटिस दिया गया था कि शुल्क अधिसूचना के खंड 16.9 के अनुरूप बिल नहीं जारी किया जाना चाहिए। याचिककर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विभिन्न तर्क दिये और इस बात से इन्कार किया कि उसने बिजली की चोरी की है।

यह दलील भी दी गई कि विद्युत बोर्ड की विभिन्न टीमों द्वारा मीटर का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता था, लेकिन सी.टी/पी.टी. टर्मिनल कवर की मुहर में कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई थी। भट्टियां अपनी निर्धारित क्षमता के केवल 80 प्रतिशत तक ही काम कर सकती है। विद्युत बोर्ड ने स्वयं 5100 के.वी.ए. पर जुड़े लोड की क्षमता का आंकलन किया था, जो अनुबंधित मांग के बहुत करीब था।

कारखाना परिसर में स्थापित मीटर ने कभी भी अनुबंधित मांग से अधिकतम मांग नहीं दर्शायी। यह धारणा की सहायक भार के लिए प्रति टन 100 के.वी.ए. की आवश्यकता होती है, तथ्यों पर आधारित नहीं थी और एक उच्च तनाव औद्योगिक उपभोगक्ता द्वारा प्राप्त भार की लगातार निगरानी करना आवश्यक है जिसके लिए अधिकतम मांग का संकेतक ट्राइवेक्टर मीटर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सी.टी/पी.टी. इकाई में मुहर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी और मुहर के साथ छेड़छाड़ के आरोप की जांच याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के जांच अधिकारी द्वारा की जा रही थी और उसकी रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा समुचित समय पर विचार किया जाएगा।

मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध सामग्री एवं अभिकथनों पर विचार करने के बाद यह माना कि बिजली की चोरी को भौतिक रूप से नहीं पाया जा सकता और इसके साक्ष्य मापदंडों और विभिन्न परिस्थितियों को समझना होगा जिसके तहत उपभोक्ता तथा उनके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः वर्णित किया जा रहा हैः

> "कारण दर्शाओं नोटिस के अनुलग्नक-1 से यह प्रतीत होता है कि छह एम.टी. क्षमता की कुल 2 एम.टी. इंडक्शन प्रेरण भट्टियां संचालित थी। जिनमें प्रत्येक भट्टी की क्षमता 12 मीट्रीक टन थी। यह निरीक्षण रिपोर्ट के तथ्यों

द्वारा समर्थित है। कि ट्रांसफॅर्मर की कुल क्षमता 7230 के.वी.ए. थी। जिस सी.टी/पी.टी. कवर टर्मिनल सील के साथ छेड़छाड़ पाई गई वह अहस्ताक्षरित थी। कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट सहित बोर्ड के अधिकारी बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे इसलिए इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि सी.टी/पी.टी. के टर्मिनल बॉक्स की सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी। भट्टियों की क्षमता 12 मीट्रीक टन है। यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा बिजली का अनाधिकृत प्रयोग किया गया था, क्योंकि मीटर में दर्ज उपभोग वास्तविक लोड यानी 7200 के.वी.ए. (600 X 12 एम.टी.) पर होने वाला उपभोग काफी कम था। इस सम्बंध में अनुलग्नक-3 व 4 मेगाथर्म से प्रेरण भट्टी की खरीद के वाउचर, प्रेरण भट्टी की क्षमता, 6 एम.टी. को 2500 किलोवाट यानी 3000 के.वी.ए. के समतुल्य दर्शाते है इसलिए 12 एम.टी. भट्टी का भार के.वी.ए. 1 एम.टी. के अलावा सहायक भार जो वास्तविक भार कुल 7200 के.वी.ए. होता है। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन ऑफ बिहार ने यह प्रस्ताव दिया तथा सहमति व्यक्त की है कि इंडक्शन भट्टी का भार 600 के.वी.ए. प्रति एम.टी. हो सकता है।

मेरे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि औसत आधार पर बिजली की खपत प्रतिदिन 21.25 घंटो की औसत अवधि में की गई। फैक्टरी दो पारी में चलती थी। प्रत्येक पारी में 40 श्रमिक कार्य करते थे। जहां तक चोरी के दिनों की संख्या का सम्बंध है तो इसकी सही व्याख्या करते हुए टैरिफ के खंड 16.9 के तहत क्षतिपूर्ति की राशि के मूल्यांकन के लिए छह महीने की अधिकत अवधि का आंकलन किया गया। टैरिफ में दिए गए फॉर्मुले में फॉर्मुला यानी LEF X HED के अनुसार बिजली खपत के विभिन्न कारकों को पूरी तरह से ध्यान रखा गया।

ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि शुल्क का खंड 16.9 (बी) और (सी) आकर्षित होगा और उपभोक्ता मैसर्स जे.एम.डी. अलॉयज इस खंड के तहत प्रतिपूरक बिल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।"

मुख्य अभियंता के आदेशानुसार, दिनांक 29.10.1999 को बिजली युनिट की लागत हेतु 04,09,32,925/- रुपये का और ईंधन अधिभार के लिए 03,90,73,217/- रुपये का नया बिल तैयार किया गया था। बिजली शुल्क और ट्रांसफॉर्मर के किराये और फ्यूज़ बरतने आदि का शुल्क जोड़ने के बाद रुपये 08,85,77,131/- का बिल जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के कारखाने परिसर का निरीक्षण दिनांक 14.05.1999 को और फिर दिनांक 20.07.1999 को किया गया था और उक्त तिथियों पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी और इसलिए, यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने सी.टी/पी.टी. युनिट की मुहर के साथ छेड़छाड़ की पूरी तरह से गलत है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री या सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता द्वारा मीटरिंग युनिट में हस्तक्षेप का प्रयास किया गया हो। जिसका प्रभाव ऊर्जा की कम खपत दिखाने का हो सकता हो। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि कृत्रिम साधनों की उपस्थिति से सम्बंधित किसी भी साक्ष्य के अभाव में जो विद्युत ऊर्जा की निकासी को संभव बना देता हो, खंड 16.9 के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को जारी किया गया बिजली बिल गलत है। यह भी आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता के परिसर का अंतिम निरीक्षण दिनांक 20.07.1999 को किया गया था। ऐसे में बिजली की बेईमानी से निकासी की अवधि को 180 दिनों (छह महीने) के रूप में गिनाने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता को जारी किया गया लम्बी अवधि का बिल विधितः स्वीकार्य नहीं है। विद्वान वकील ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि मुख्य अभियंता द्वारा दर्ज निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने आदेश को इस्पात के वास्तविक उत्पादन पर आधारित करने के बजाय, भट्टियों की क्षमता पर ध्यान दिया। श्री सुब्रमण्यम ने यह भी आग्रह किया है कि मीटर की दोषपूर्ण रिकॉडिंग को

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 126 (6) के अनुसार आंका जाना चाहिए और मामले को विद्युत निरीक्षक को भेजा जाना चाहिए था।

बिजली बोर्ड के वरिष्ठ वकील श्री वी.आर. रेड्डी ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 26 (6) उन मामलों में प्रयोज्य नहीं है जहां सी.टी/पी.टी. टर्मिनल बॉक्स पर लगाई गई मुहर के साथ छेड़छाड़ की गई हो और मीटर द्वारा खपत की रिकॉडिंग को कृत्रिम साधनों का सहारा लेकर प्रभावित किया गया हो। विद्वान वकील ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि मुख्य अभियंता ने सभी प्रासंगिक सामग्री और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि सी.टी/पी.टी. टर्मिनल बॉक्स की मुहर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और याचिकाकर्ता ने अनुबंधित भार को पार कर लिया था और बहुत हद तक बेईमानी से विद्युत ऊर्जा का दोहन किया गया। विद्वान वकील के अनुसार, मुख्य अभियंता द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में चुनौती देने के लिए योग्य नहीं है। विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अपील के समर्थन में श्री रेड्डी ने प्रस्तुत किया है कि अधिभार बिजली बिल का हिस्सा होने के कारण, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि यह प्रति इकाई आधार पर प्रभार्य था न कि उसके मूल्य के तीन गुना पर। विद्वान वकील के अनुसार, शुल्क के खंड

16.9 को देखते हुए, ईंधन अधिभार मूल्यांकन की गई इकाईयों के तीन गुना पर लगाया जाना है।

शुरुआत में ही यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को सभी प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए दिनांक 13.10.1999 को एक विस्तृत कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.10.1999 को जवाब दिया था। मुख्य अभियंता के आदेश में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था और उसके वकील उसके सामने पेश हुए और दिनांक 25.10.1999 और दिनांक 26.10.1999 को मामले पर बहस की। मुख्य अभियंता ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि सीटी/पीटी टर्मिनल बॉक्स पर सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दिनांक 14.5.1999 को सीटी/पीटी टर्मिनल बॉक्स पर नंबर 045660च् वाली एक सील लगाई गई थी और सील लगाने वाले प्राधिकारी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। दिनांक 27.8.1999 को निरीक्षण के समय सील के साथ छेड़छाड़ होना पाया गया, जिसे निरीक्षण दल द्वारा जब्त कर लिया गया। सील पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे जिसने सील लगाई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि निरीक्षण एक उच्च स्तरीय टीम द्वारा किया गया था जिसमें 8 जिम्मेदार अधिकारी शामिल थे, जिनमें से कुछ पटना में बिजली बोर्ड के मुख्यालय से आए थे। टीम में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी शामिल थे। याचिकाकर्ता के प्रबंधक ने स्वयं दिनांक 28.8.1999 को पुलिस उपाधीक्षक, दानापुर (पटना) के पास एक

रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 8 अधिकारियों ने सशस्त्र बल के साथ कारखानों का दौरा किया और परीक्षण किया और टीम के सदस्यों ने स्क्रू और प्लायर की मदद से सी.टी/पी.टी. के एलटी टर्मिनल बॉक्स के कवर के साथ छेड़छाड़ की गई और प्लास्टिक सील को एक कार्यकारी अभियंता द्वारा हटा दिया गया और नीचे लाया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर कारण बताओ नोटिस के जवाब में, सील के साथ छेड़छाड़ से इनकार किया गया था और दलील दी गई थी कि मामले की जांच याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के जांच अधिकारी द्वारा की जा रही है और उसकी रिपोर्ट पर उचित समय पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। मुख्य अभियंता ने पूरी सामग्री पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निरीक्षण के समय बोर्ड के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे, निष्कर्ष निकाला कि सील के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता के कारखाने में दो भट्टियाँ थीं, प्रत्येक 6 मीट्रिक टन की और इस प्रकार कुल क्षमता 12 मीट्रिक टन थी। इंडक्शन फर्नेस के निर्माता, मेगथर्म इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने लिखित में दिया था कि 6 एमटी इंडक्शन भट्टी का भार 2500 केवी था जो 3000 केवीए के बराबर है और इसलिए, याचिकाकर्ता के कारखाने में स्थापित भट्टियों का वास्तविक भार, सहायक भार पर विचार करने के बाद, 7200 के.वी.ए. आया। इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन

ऑफ बिहार, जिसका याचिकाकर्ता भी सदस्य है, ने सहमति व्यक्त की थी और प्रस्ताव दिया था कि इंडक्शन फर्नेस का भार 600 केवीए प्रति मीट्रिक टन लिया जा सकता है। इन कारकों पर विचार करने पर मुख्य अभियंता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता के कारखाने का वास्तविक भार 7200 केवीए था। मुख्य अभियंता द्वारा जिस अन्य सामग्री पर विचार किया गया कि औसतन प्रति दिन 21.25 घंटे बिजली की खपत होती थी क्योंकि फैक्ट्री दो शिफ्टों में चल रही थी और प्रत्येक शिफ्ट में 40 कर्मचारी थे और इसलिए, वास्तव में खपत होने वाली इकाइयों की संख्या मीटर में दर्ज की तुलना में बहुत अधिक थी। इस निष्कर्ष के आधार पर, टैरिफ के खंड 16.9 के तहत प्रतिपूरक राशि का आंकलन किया गया है। यह तर्क कि सी.टी/पी.टी. टर्मिनल यूनिट की सील से छेड़छाड़ से संबंधित विवाद विद्युत निरीक्षक को भेजा जाना चाहिए था, में शायद कोई दम नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम बसंतीबाई, 1988(1) एससीसी 23, में यह माना गया है कि मीटर के साथ छेड़छाड़ और बॉडी सील को तोड़ने सम्बंधी विवाद भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 26(6) के दायरे से बाहर है और विद्युत निरीक्षक के पास ऐसे धोखाधड़ी के मामलों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। आगे यह माना गया कि धारा 26(6) के तहत, एकमात्र विवाद जो विद्युत निरीक्षक द्वारा तय किया जा सकता है वह यह है कि क्या मीटर सही है और रीडिंग को सही ढंग से दर्ज कर रहा है या इसमें कोई खराबी है। चूंकि वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि सी.टी/पी.टी. टर्मिनल बॉक्स पर सील के साथ छेड़छाड़ की गई

थी और बाहरी उपकरणों का सहारा लेने से मीटर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली प्रभावित हुई थी, इसलिए इस तरह के विवाद को संदर्भित नहीं किया जा सकता है। विद्युत निरीक्षक के लिए अगला तर्क यह उठाया गया कि जिस 180 दिन की अवधि के लिए बिजली चोरी का आंकलन किया गया है वह बिल्कुल गलत है और इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। बिजली बोर्ड इस आधार पर आगे बढ़ा है कि राज्य सरकार की मंजूरी से बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाये गये टैरिफ का खंड 16.9 लागू होता है। टैरिफ का खंड 16.9 इस प्रकार हैः

16.9 (ए) अनधिकृत भार का पता लगानाः यदि किसी भी समय उपभोक्ता का बोर्ड की विशिष्ट अनुमति के बिना अनुबंधित भार से अधिक पाया जाता है, तो बोर्ड समझौते के तहत या विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कर सकता है । इस प्रकार निकाली गई, खपत की गई या उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा के मूल्य का अनुमान निम्नानुसार लगाया जाएगा और बिना सूचना के आपूर्ति भी काट दी जा सकती हैः-

I. निम्नलिखित बिजली के दुरुपयोग तथा बिजली चोरी के मामलों में मुआवजे के लिए आवश्यक मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगाः

(ए) .....

(बी) मीटर चलाने में बाधा उत्पन्न करके या आपूर्ति प्रणाली या तारों आदि में हस्तक्षेप करके ऊर्जा का उपयोग करने के मामले में। (सी) .....

मूल्यांकन की गई इकाई = एल X एफ X एच X डी =।

जहां एल = ...

जहां एच = ...

जहां डी = वह संख्या है जो चोरी होने के दिनों की संख्या, जिसे उपभोक्ता द्वारा संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर स्थापित किया जा सकता है। यदि अवधि स्थापित करने के लिए कोई संभावित साक्ष्य नहीं है, तो इस कारक को 180 या संख्या के बराबर लिया जाएगा। मीटर के कनेक्शन/स्थापना की तारीख से चोरी का पता चलने की तारीख तक जो भी कम हो, बीते दिनों की संख्या।

एफ

= .....

|| .....

|||. मूल्यांकन की गई युनिट को चार्ज करने की विधि जैसा कि उपरोक्त पैरा । और ॥ में दर्शाया गया है।

(ए) इस प्रकार निर्धारित खपत पर मीटर द्वारा दर्ज खपत को छोड़कर उपभोक्ता पर लागू टैरिफ की प्रति यूनिट की दर से तीन गुना शुल्क लिया

जाएगा और बाद में उचित टैरिफ दरों पर शुल्क लिया जाएगा। मासिक/न्यूनतम गारंटी का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता की देनदारी की गणना के उद्देश्य से इस (टैरिफ दर से तीन गुना) पर बिल की गई राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

(बी) .....

.....

IV. जब घरेलू सेवा को छोड़कर सभी श्रेणियों के एलटी कनेक्शन के मामले में कनेक्टेड लोड स्वीकृत लोड से अधिक हो।

मूल्यांकन शुल्क:- रु. सी X एम (एलडी-एलएस) X 3

जहां, एम = टैरिफ अनुसूची के अनुसार प्रति बीएचपी प्रति माह न्यूनतम खपत गारंटी शुल्क।

एलडी = निरीक्षण के समय बीएचपी में पाया गया लोड है।

एलएस = बीएचपी में उपभोक्ता को स्वीकृत भार है

(सी) = यह कारक छह महीने या नहीं के बराबर लिया जाएगा। कनेक्शन/इंस्टॉलेशन की तारीख से बीते महीनों या उसके कुछ हिस्से में से जो भी कम हो।

उपरोक्त वर्णित टैरिफ खंड से ज्ञात होता है कि बिजली की चोरी या विद्युत ऊर्जा की बेईमानी से निकासी के मामलों में मुआवजे का आकलन एक सूत्र के आधार पर किया जाना है जिसमें 'डी उन दिनों की संख्या को

दर्शाता है जिनके लिए चोरी की गई है और जहां अवधि स्थापित करने के लिए कोई संभावित सबूत नहीं है, वहां इस कारक को 180 दिनों के बराबर माना जा सकता है। इसी प्रकार, ऐसे मामले में जहां कनेक्टेड लोड स्वीकृत लोड से अधिक है, वहां मूल्यांकन शुल्क एक फॉर्मूले के आधार पर किया जाना है जहां 'सी' छह महीने या कनेक्शन की तारीख से बीते महीनों या उसके हिस्से की संख्या को दर्शाता है। /स्थापना, जो भी कम हो। इसलिए टैरिफ के तहत दोनों ही मामलों में अवधि 180 दिन या छह महीने ली जा सकती है। इसी फार्मूले के आधार पर 180 दिन की यूनिट खपत का आकलन किया गया है। हैदराबाद वनस्पति लिमिटेड बनाम एपी राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, 1998 (4) एससीसी 470 में, यह अवधारित किया गया है कि बिजली प्रयोग में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए शर्तों को बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाता है। विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 49 के तहत यह बिजली की आपूर्ति का लाभ उठाने वाले सभी उपभोक्ताओं पर वैधानिक रूप से लागू होती हैं। यह कानूनी स्थिति होने के कारण, हमारी राय में बिजली बोर्ड ने टैरिफ के खंड 16.9 को सही ढंग से लागू किया है और इसके अनुसार किए गए मूल्यांकन और तैयार किए गए बिल में कोई खामी नहीं है। श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने यह भी प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.8.1999 को निरीक्षण किए जाने के बाद, उसी दिन याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन में सहायक कार्यकारी अभियंता श्री ओम प्रकाश द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और धारा के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। भारतीय विद्युत

अधिनियम की धारा 39 / 44 के तहत इस मामले की जांच की गई और उसके बाद एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया और इस आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को बिजली चोरी के आरोप से बरी कर दिया गया और क्लॉज 16.9 का सहारा लेकर कोई क्षतिपूर्ति बिल जारी नहीं किया जा सकता। बिजली बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वीआर रेड्डी ने प्रस्तुत किया है कि अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले, विद्वान मजिस्ट्रेट ने सहायक कार्यकारी अभियंता श्री ओम प्रकाश को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्हें उक्त नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि उनका तबादला पटना से झारखंड राज्य को में उन्हें आवंटन के कारण अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ बिजली बोर्ड की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सका। इसके बाद, बिजली बोर्ड की ओर से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट खारिज करने के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। हमारी राय में, मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति मात्र से आपराधिक न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बिजली की चोरी नहीं की गई थी। आरोपी को समन तक नहीं किया गया, कोई आरोप तय नहीं किया गया और न ही कोई साक्ष्य दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता कि आपराधिक न्यायालय ने इस आशय का कोई निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता ने बिजली की चोरी नहीं की है। इसके अलावा, भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 39/44 के तहत मुकदमे का उद्देश्य पूरी तरह से अलग है और उद्देश्य उस व्यक्ति को दंडित

करना और सजा देना है जिस पर अपराध करने का आरोप है। किसी आपराधिक मामले में आरोपी के मुकदमे का बेईमानी से निकाले गए या उपभोग किए गए बिजली के मूल्य के टैरिफ के अनुसार किए गए मूल्यांकन के मामले में कोई असर नहीं हो सकता है। इसलिए, आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट की कथित स्वीकृति के आधार पर उठाए गए विवाद में बिल्कुल कोई दम नहीं है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीडब्ल्यूजेसी संख्या 8939/99 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.9.1999 को पारित आदेश की अनुपालना में, मुख्य अभियंता ने मामले का फैसला यह मानते हुए किया कि याचिकाकर्ता ने अनुबंधित भार को पार कर लिया था और बिजली की चोरी भी की थी। और परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि का मूल्यांकन टैरिफ के खंड 16.9 के अनुसार किया जाना था। मुख्य अभियंता के आदेश दिनांक 29.10.1999 के क्रम में बिल तैयार किया गया था जिसे याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट मुख्य अभियंता के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर रहा था। ऐसे मामले में जांच का दायरा सीमित होता है। हम यहां स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में वेंकटचलैया, जे. द्वारा कही गई बातों को उद्धृत करना चाहेंगे । वी. महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह , एआईआर 1989 एससी 997 (पैरा 28), जो इस प्रकार हैः

"हालांकि, अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा को अपील में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा निर्णय के खिलाफ नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच तक ही सीमित है। नार्थ वेल्स पुलिस के मुख्य कांस्टेबल बनाम इवांस, (1982) 1 डब्लूएलआर 1155 न्यायिक समीक्षा में गुण-वैधता भेद को संदर्भित करता है। लॉर्ड हेल्शम ने कहाः

"न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को उचित उपचार प्राप्त हो, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी, उचित उपचार के बाद, उस मामले पर पहुंचता है जिस पर वह कानून द्वारा अपने लिए न्यायालय की नजर में जो सही निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।"

लॉर्ड ब्राइटमैन ने कहाः

"न्यायिक समीक्षा, जैसा कि शब्दों से पता चलता है, किसी निर्णय के खिलाफ अपील नहीं है, बल्कि उस तरीके की समीक्षा है जिसमें निर्णय लिया गया था और माना कि यह सोचना एक त्रुटि होगी कि "न्यायालय न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता पर बल्कि निर्णय की शुद्धता पर भी निर्णय देता है।"

जब न्यायिक समीक्षा में मुद्दा यह उठाया जाता है कि क्या कोई निर्णय अप्रासंगिक को ध्यान में रखकर या प्रासंगिक कारकों की उपेक्षा करके दूषित किया गया है या स्पष्ट रूप से इतना अनुचित है कि कोई भी उचित प्राधिकारी उचित रूप से जिन्हें प्रश्नगत शक्तियां न्यस्त की गई है ऐसा निर्णय नहीं ले सकता है निर्णय लेने की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा में, विधिक मामले के रूप में, कारकों की प्रासंगिकता की जांच शामिल है।"

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल बनाम एके चोपड़ा, जेटी 1999 (1) एससी 61 में, मुख्य न्यायाधीश आनंद ने निर्धारित किया है किः

> "न्यायिक समीक्षा, किसी निर्णय के खिलाफ अपील नहीं है, बल्कि जिस तरीके से निर्णय लिया गया उसकी समीक्षा करना है, न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यदि प्रशासनिक प्राधिकारी ने निर्णय पर पहुंचने के लिए कानून द्वारा स्थापित सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के बाद और व्यक्ति को उसके खिलाफ मामले को निष्पक्ष उपचार प्राप्त हो, न्यायालय किसी ऐसे मामले पर अपने फैसले को प्रशासनिक प्राधिकारी के फैसले से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है जो पूरी तरह से उस प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता हो।"

इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुख्य अभियंता ने याचिकाकर्ता को सभी प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए नोटिस जारी किया, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया। याचिकाकर्ता को भी सुनवाई का अवसर दिया गया और वह एक वकील के माध्यम से पेश हुआ, जिसने दो दिनों में दलीलें दीं और उसके बाद मुख्य अभियंता ने आदेश पारित किया। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मुख्य अभियंता ने प्रासंगिक कारकों पर विचार किया है और उनके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उनके सामने उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा पारित आदेश किसी भी प्रकार से अनुचित अथवा विकृत है। इसलिए उच्च न्यायालय ने सही विचार किया कि मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश कि प्रतिपूरक बिल टैरिफ के खंड 16.9 के अनुसार तैयार किया जाना है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और आदेश के उस हिस्से से व्यथित है जिसके द्वारा यह माना गया है कि प्रति यूनिट तीन गुना दर पर अधिभार नहीं लगाया जा सकता है और तदनुसार उसने सिविल अपील संख्या 8395 दायर की है। विद्युत बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी.आर. रेड्डी ने प्रस्तुत किया है कि बिजली की एक यूनिट की लागत तय नहीं है और इसके विपरीत यह ईंधन अधिभार पर निर्भर है। ईंधन अधिभार की गणना का फॉर्मूला लंबा और जटिल है और

टैरिफ के खंड 16.10.3 में दिया गया है। ईंधन अधिभार की गणना में कई कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है जो कई परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर करते हैं। श्री रेड्डी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि अधिभार को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसे बिजली की लागत में जोड़ा जाना चाहिए और इसलिए, टैरिफ के खंड 16.9 के भाग (III) के अनुसार, इसका मूल्यांकन भी प्रति युनिट तीन गुना दर पर किया जाना चाहिए। हम उठाए गए विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। खंड 16.9 और 16.10.3 टैरिफ में अलग और विशिष्ट खंड हैं। खंड 16.9 किसी उपभोक्ता द्वारा अनुबंधित भार से अधिक या मीटर चलने में बाधा उत्पन्न करके निकाली गई या खपत की गई विद्युत ऊर्जा के मूल्य की गणना करने के लिए सूत्र देता है। इस खंड का भाग (III) मूल्यांकित इकाइयों को चार्ज करने की विधि से संबंधित है और इसके उप-पैरा (ए) में कहा गया है कि इस प्रकार मूल्यांकित खपत पर दर्ज की गई खपत को छोड़कर उपभोक्ता पर लागू टैरिफ की प्रति यूनिट की दर से तीन गुना शुल्क लिया जाएगा। मीटर द्वारा और बाद में उचित टैरिफ दरों पर शुल्क लिया जाएगा। खंड 16.10.3 एक अलग खंड है जो ईंधन अधिभार से संबंधित है और यह कहीं नहीं कहता है कि यह अतिरिक्त अधिभार भी टैरिफ की प्रति यूनिट तीन गुना दर पर लगाया जाएगा। दो खंड अर्थात् 16.9 और 16.10.3 को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए और प्रति यूनिट तीन गुना दर पर लिया जाना चाहिए। ईंधन अधिभार का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, यह मानना संभव नहीं है कि ऐसे मामले में ईंधन अधिभार भी

प्रति यूनिट तीन गुना दर पर। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल सही है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, दोनों अपीलों में योग्यता नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री वन्दना राठौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।